रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229616
CG-DL-E-15092021-229616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 391] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02.—चूँकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक) की धारा 92 की उप-धारा(1) की अपेक्षा के अनुसार निम्नलिखित विनियमों के प्रारूप उनसे प्रभावित हो सकने वाले लोगों से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में उस तारीख से साठ दिन की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे, जिस तारीख को अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं:

(i) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020, अधिसूचना फाइल सं. 1/स्टेंड्स/अधिसूचना/मधुकारक-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2019, तारीख 16 सितंबर, 2020;

(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020, अधिसूचना सं. फाइल सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, तारीख 10 नवंबर, 2020

और चूँकि उक्त दो राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को क्रमश: तारीख 18 सितंबर, 2020 और 18 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूँकि उक्त दो प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन), विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबारी इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन तारीख 17 नवम्बर, 2021 से करेंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), के,विनियम 7 के उप-विनियम (1) के नीचे निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि कैलोरी युक्त/गैर-कैलोरी युक्त मीठाकारक अथवा उनके मिश्रण वाले 30सेंमी^{2} सतही क्षेत्र वाले खाद्य पैकेज की स्थिति में अनुसूची-II में विहित घोषणाओं/ विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए अंकों और वर्णों के साइज वर्ण 'l' को आधार मानकर 1 मिमी से न्यून न हों।";

3. उक्त विनियम में, अनुसूची II में,-

(1) खंड 1 में,-

(क) उप-खंड (1) के अधीन, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उसकी सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	संघटक/सहयोज्य	घोषणाएँ
5.	10 प्रतिशत अथवा अधिक सोर्बिटॉल और सोर्बिटॉल सिरप	इसका रेचक प्रभाव हो सकता है, बच्चों में जठर दोष और दस्त हो सकते हैं; और रजोनिवृत्त महिलाओं में कैल्सियम अवशोषण कम हो सकता है।

(ख) उप-खंड (3) के अधीन सारणी के,

(i) क्रम संख्या 3 और इससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात,-

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	घोषणा
3.	''टेबल टॉप मीठाकारक के रूप में विपणित'' एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर), एसिसल्फेम पोटैशियम, एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण, सूक्रालोज, सैक्करीन, नियोटेम, स्टीवियॉल ग्लाइकोसाइड और पॉलियॉल	(i) .....युक्त (मार्कर यौगिक की शुद्धता और भार प्रति शत सहित मीठाकारक का नाम) (ii) फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स; मिर्गी के दौरों वाले बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं [एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर) के मामले में] के लिए अनुशंसित नहीं (iii) बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं (एसिसल्फेम पोटैशियम के मामले में) के लिए अनुशंसित नहीं (iv) फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स; बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण के मामले में) के लिए लागू नहीं

		(v) बच्चों के लिए लागू नहीं (सैक्करीन के मामले में) (vi) पॉलियालों का रेचक प्रभाव हो सकता है (पॉलियॉल के मामले में) (vii) रेचक प्रभाव हो सकता है, बच्चों में जठरीय दोष ओर दस्त हो सकते हैं; और रजोनिवृत्त महिलाओं में कैल्सियम अवशोषण में कमी हो सकती है (सोर्बिटॉल और सोर्बिटॉल सिरप के मामले में)

(ii) क्रम सं.4 और इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-खंड (4) के अधीन, सारणी में क्रम संख्या 1, 2 और 3 के स्थान पर उससे सम्बंधित निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	संघटक/सहयोज्य	घोषणा
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित मीठाकारक	(i) इसमें .....(मीठाकारक का नाम) है। (ii) *फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स; मिर्गी के दौरों वाले बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं [एस्पार्टेम योजन के मामले में] के लिए अनुशंसित नहीं (iii) *बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं (एसिसल्फेम पोटैशियम योजन के मामले में) के लिए अनुशंसित नहीं (iv) *फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स; बच्चों; गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण योजन के मामले में) के लिए लागू नहीं (v) *बच्चों के लिए लागू नहीं (सैक्करीन योजन के मामले में)
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित मीठाकारकों का अधिमिश्रण	इस .... खाद्य (खाद्य का नाम) में ………… (मीठाकारकों के नाम) का अधिमिश्रण है। परंतु यह कि उपर्युक्त घोषणा के अतिरिक्त मीठाकारकों के मिश्रण वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर मिश्रण में मौजूद अलग-अलग मीठाकारकों के लिए इन विनियमों के तहत निर्धारित लेबलिंग अपेक्षा की घोषणा हो; **टिप्पण:** 100 सेंमी^{2} तक के सतही क्षेत्र वाले खाद्य पैकेज की स्थिति में ऐसी घोषणा के लिए अंकों और वर्णों के साइज 1.5 मिमी से न्यून न हों।

3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में उल्लिखित गैर-कैलोरी मीठाकारकों की अनुमति वाले खाद्य का प्रत्येक पैकेज	गैर-कैलोरी मीठाकारकयुक्त।

(2) "लेबलिंग की रीति की विशिष्ट अपेक्षाएँ/प्रतिषेध" से सम्बंधित खंड 2 के उप-खंड 2.1 में,-

(क) मद (2) के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(2)(क) भौतिक रूप से परिशोधित चावल के भूसे के तेल का वनस्पति में संघटक के रूप में उपयोग किए जाने पर उसके लेबल पर वह संघटकों की सूची में "भौतिक रूप से परिशोधित चावल के भूसे का तेल" के रूप में घोषित किया जाए'';

(ख) मद (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

"(4) खाद्य तेलों के अधिमिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के सम्मुख भाग पर उसके ब्रांड नाम/व्यापारिक नाम के तुरंत नीचे बड़े अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा की जाए, अर्थात्,-

''बहु-स्रोतीय खाद्य तेल''

(खाद्य तेल का नाम और प्रकृति*) .... भारानुसार प्रति शत
(खाद्य तेल का नाम और प्रकृति*) .... भारानुसार प्रति शत

(*उदाहरण के लिए कच्चे अथवा परिशोधित रूप में)

एक लीटर से छोटे पैक साइज के मामले में लेबल की घोषणा ''बहु-स्रोतीय खाद्य तेल'' का फोंट साइज 3 मिमी से कम न हो, जिसकी घोषणा की स्टेटमेंट की लंबाई न्यूनतम 35 मिमी हो तथा लेबल की घोषणा ''खाद्य तेल का नाम और प्रकृति ... भारानुसार प्रति शत'' के लिए फोंट साइज 2 मिमी से कम न हो।

एक लीटर से लेकर 5 लीटर से छोटे पैक साइज के मामले में लेबल की घोषणा ''बहु-स्रोतीय खाद्य तेल'' का फोंट साइज 4 मिमी से कम न हो, जिसकी घोषणा की स्टेटमेंट की लंबाई न्यूनतम 45 मिमी हो तथा लेबल की घोषणा ''खाद्य तेल का नाम और प्रकृति ... भारानुसार प्रति शत'' के लिए फोंट साइज 2.5 मिमी से कम न हो।

5 लीटर और उससे बड़े पैक साइज के मामले में लेबल की घोषणा ''बहु-स्रोतीय खाद्य तेल'' का फोंट साइज 10 मिमी से कम न हो तथा लेबल की घोषणा ''खाद्य तेल का नाम और प्रकृति ... भारानुसार प्रति शत'' के लिए फोंट साइज 3 मिमी से कम न हो।

पैक के सम्मुख भाग पर उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी हो:

खुला न बेचा जाए ".

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./256/2021-22]

टिप्पण : खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श), विनियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014(भाग 2), तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02.- Whereas the draft of certain regulations, namely: -

(i) the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2020, *vide* notification number File No. 1/Stds/Notification/Sweeteners-labelling/FSSAI-2019, dated the 16th September, 2020; and

(ii) the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2020, *vide* notification number F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02 dated the 10th November, 2020,

were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said two Gazette notifications were made available to the public on the 18th September, 2020 and 18th November, 2020, respectively;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said two draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, namely: -

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 17th November, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (herein after refer as the said regulations), in regulation 7, under sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in case of food package having surface area upto $30cm^2$ containing caloric or non caloric sweetener or mixture thereof, the size of numerals and letters for the declarations or specific requirements specified in Schedule -II shall not be less than 1mm based on the letter l."

3. In the said regulations, in Schedule-II,

(1) in clause 1, -

(a) under sub-clause (1), in the table, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

SI. No.	Ingredients/additives	Declarations
"5.	10 per cent. or more Sorbitol and Sorbitol syrup	May have laxative effect, cause bloating and diarrhea in children; and reduce calcium absorption in post-menopausal women.";

(b) under sub-clause (3), in the table,

(i) for S. No. 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

SI. No.	Articles of food	Declarations
"3.	Aspartame (Methyl ester), Acesulfame Potassium, Aspartame-Acesulfame	(i) Contains........... (Name of sweetener with purity and weight percent of marker

	salt, Sucralose, SACCHARINS, Neotame, Steviol Glycoside and Polyols marketed as “Table Top Sweetener”	compound) (ii) Not recommended for phenylketonurics; for children suffering from seizure disorders; pregnant and lactating mothers (in case of Aspartame (Methyl ester)) (iii) Not recommended for children; pregnant and lactating mothers (in case of Acesulfame Potassium) (iv) Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant and lactating mothers (in case off Aspartame-Acesulfame salt) (v) Not recommended for children” (in case of SACCHARINS) (vi) Polyols may have laxative effect (in case of Polyols) (vii) May have laxative effect, cause bloating and diarrhea in children; and reduce calcium absorption in post-menopausal women (in case of Sorbitol and Sorbitol syrup).”;

(ii) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) under sub-clause (4), in the table, for S. No. 1, 2 and 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

SI. No.	Ingredients/additives	Declarations
“1.	Sweeteners mentioned under Appendix A of Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	(i) This contains……………………….. (name of the sweetener). (ii) *Not recommended for phenylketonurics; for children suffering from seizure disorders; pregnant and lactating mothers (if Aspartame is added) (iii) *Not recommended for children; pregnant and lactating mothers” (if Acesulfame potassium is added) (iv) *Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant and lactating mothers (if Aspartame-Acesulfame salt is added) (v) *Not recommended for children (if SACCHARINS is added)
2	Mixture of Sweeteners mentioned under Appendix A of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation,2011	This ……….......…… (name of food) contains an admixture of .... (name of the sweeteners). Provided that in addition to the above declaration every package of food containing mixture of sweeteners shall declare the labelling requirement prescribed under these regulations for the individual sweeteners present in the mixture; **Note:** In case of food package having surface area upto 100cm^2 , the size of numerals & letters for such

		declarations shall not be less than 1.5 mm.
3.	Every package of food which is permitted to contain non-caloric sweetener mentioned in Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	CONTAIN NON-CALORIC SWEETENER";

(2) in clause 2, relating to "Specific requirements/ restrictions on manner of labelling", in sub-clause 2.1,-

(a) after item (2), following shall be inserted, namely: -

"2A. In case rice bran oil which is physically refined is used as one of the ingredients in Vanaspati, it shall be declared in the ingredient list on the label as 'Physically Refined Rice Bran Oil.";

(b) for item (4), the following shall be substituted, namely: -

"(4) Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label declaration in bold capital letter immediately below its brand name or trade name on the front of pack, namely: -

"**MULTI-SOURCE EDIBLE OIL**"

(Name and nature* of edible oil) ....per cent. by weight
(Name and nature* of edible oil) ....per cent. by weight

(*i.e. in raw or refined form)

For pack size less than one litre, the font size of the label declaration "MULTI-SOURCE EDIBLE OIL", shall not be less than 3 mm with the length of declaration statement as 35 mm minimum and for label declaration "Name and Nature of edible oil......per cent. by weight", font size shall not be less than 2 mm.

For pack size one litre to below 5 litre, the font size of the label declaration "MULTI-SOURCE EDIBLE OIL" shall not be less than 4 mm with the length of declaration statement as 45 mm minimum and for label declaration "Name and Nature of edible oil......per cent. by weight" font size shall not be less than 2.5 mm.

For pack size five litre and above, the font size of the label declaration "MULTI-SOURCE EDIBLE OIL" shall not be less than 10 mm and for label declaration "Name and Nature of edible oil......per cent. by weight" font size shall not be less than 3 mm.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front of pack,-

NOT TO BE SOLD LOOSE."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./256/2021-22]

Note: The Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations,2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 1-94/FSSAI/ SP (Labelling)/2014(Pt-2), dated the 17th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.15 15:16:07 +05'30'